



No. Dmrc/estt/store/maintenance/bc minutes/2012E0601 voll. III/

Dated 06.12.2021

Cost of Tender Document Rs. 500/-

**TENDER DOCUMENT**  
**FOR**  
**SECURITY PERSONNEL SERVICE**  
**AT**

**NATIONAL INSTITUTE FOR IMPLEMENTATION RESEARCH ON NON-  
COMMUNICABLE DISEASE, JODHPUR**

**Time schedule for tender process:**

Date of publication of tender notification on official website and CPP portal	06.12.2021
Last date for Submission of tender document	<b>28.12.2021 at 5:30 PM</b>
Date and Time of Bid opening	<b>29.12.2021 at 11:00 AM</b>
Place of Bid Submission	<b>ICMR-NIIRNCD, JODHPUR</b>

- **Only Physical bid addressed to Director, NIIRNCD, Jodhpur will be accepted.**



## **INTRODUCTION:**

The National Institute for Implementation Research in Non Communicable Diseases came into existence on 07<sup>th</sup> December 2019. The institute is located in Jodhpur and it replaces the erstwhile Desert Medicine Research Centre. The institute has state of the art facility to conduct basic laboratory based research in its microbiology, biochemistry and vector biology laboratories. The institute is acquiring personnel and facilities for strengthening its capacity for conducting implementation research in non- communicable diseases. At present, the institute has a set of 10 dedicated scientists, 9 technical experts, ably supported by 28 administrative and support staff. The thrust areas of research are cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, environmental health, nutritional disorders, cancers, injury & trauma, mental illnesses including substance abuse, genetic diseases and other non-communicable diseases of public health significance in India. The institute aspires to carry out implementation research in the thrust areas, provide training for capacity building in implementation research in other academic and research institutions, develop behavior change communication materials and models for tackling risk factors of various non communicable diseases. The institute heartily welcomes collaboration with institutions and individuals with interest in augmenting the thrust areas.

## **NOTICE INVITING TENDER:**

### **FOR SELECTION OF AGENCY FOR PROVIDING PERSONNEL FOR SECURITY SERVICE AT NIIRNCD, JODHPUR**

The Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur (NIIRNCD, JODHPUR) invites tenders in sealed cover under two-bid system from



reputed and experienced agencies for providing personnel for security service through website <https://niirncd.icmr.org.in/> <https://icmr.gov.in/> and CPP Portal <https://eprocure.gov.in/> . Any future clarification and/or corrigendum(s) shall be communicated through the same websites.

### **SCOPE OF WORK**

1. To Provide Security Services at NIIRNCD, Jodhpur
2. The purpose of this service is to facilitate implementation of Security Measures at the Institute premises. The service provider would provide required equipment and personnel for the mentioned shifts as per the requirements of the NIIRNCD

### **TERMS & CONDITIONS FOR PRE QUALIFICATIONS (TECHNICAL BID):-**

1. Bidder's Declarations/Letters as in Annexure-I to VI.
2. The Outsourcing Agency (Service Provider) must be a registered legal entity, like a company, society, LLP (limited liability partnership), etc.
3. The company, firm or agency should be registered with central/state govt. and should have a valid registration Certificate.
4. Self attested valid copy of CA certificate with the last three year balance sheet, Income Tax Returns and turnovers i.e. 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
5. Detailed company profile with at least 3 (Three) years experience in the field of Security Services in Central Government/ State Government organizations /Government of PSUs/ Undertaking /Organizations with documentary evidence & Client List. The copies of experience certificate duly issued by the competent authority should be enclosed. No work order shall be considered.
6. The Service Provider should have valid registration from the ESI, EPF and under GST (Proof to be enclosed)
7. Copy of up to date remittance to ESI, PF, and GST authorities for the last financial years.
8. Detail of Bank Account with Name of bank with address , Account Holder Name, Account Number, IFSC code etc.



9. The company, firm, Service Provider or agency should be registered with/have requested for license from the Labour Dept. of Central/State Government and should be valid for at least 3 months as on date of opening of bid tender.
10. The Service Provider shall have a valid license under the provision of **Private Security Regulations Act (PSARA)** providing for operation in the respective State or Union territory where services are being offered.
11. The Service Provider shall have his own Establishment/set up/mechanism/Training institute recognized under PSARA 2005 or have tie up with institutions recognized in terms of PSARA 2005 to provide training for security man power with them to ensure correct and satisfactory performance of his/her liabilities and responsibilities
12. Demand Draft of Rs. 500/ for tender fee. (NO Exemption)

*Note: All qualifications as mentioned in clauses 1 to 12 should be supported by sufficient documentary proof in technical Bid document, without which the claim of Tenderer for the prescribed qualification shall not be considered.*

#### **General Terms and Conditions:-**

- 1 The Technical bid and the financial bid (Annexure-A) should be sealed by the bidder/service providers in separate envelope covers duly super-scribed and both these sealed envelope covers are to be put in a bigger envelope cover which should also be sealed and duly super-scribed. On the outer envelope must be super-scribed "**Tender for SECURITY PERSONNEL SERVICE AT NIIRNCD, JODHPUR**"
- 2 The last date of submission of tender at NIIR-NCD Jodhpur along with credentials & certificate **28.12.2021 at 05:30 PM.** to the undersigned in person/by registered post. The tender will be opened on **29.12.2021 at 11:00 AM** in the presence of representative of the concerned agency/firm etc. present at on scheduled date and time.
- 3 Financial bid quoting NIL consideration of Zero percent or its derivatives upto 0.9999 percent and thereof as service charge shall be rejected summarily.
- 4 **Earnest Money:**

In terms of Para-4 of Department of Expenditure/s OM No. F.9/4/2020-PPD dated 12.11.2020; all bidders are exempted from submission of Bid Security/Earnest Money Deposit. Accordingly,



bidders may submit the "**Bid Security Declaration**" in the prescribed format given in Annexure-VI in place of Bid Security/Earnest Money deposit.

#### 5 **Exemption in Bid Security Declaration:-**

All bidders shall have to deposit the Bid Security Declaration except Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in the MSE Procurement Policy issued by Department of Micro, Small Medium Enterprises (MSME) or are registered with the Central Purchase Organization or concerned Ministry of Department or Startups as recognized by Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) in term of Department of Expenditure (DoE), Ministry of Finance's OM No. F.20/2/2014-PPD (Pt.) dated 25.07.2017. For availing exemption, the concerned firm/agency shall have to submit Valid Registration Certificate with the Tender Document failing which it will not be considered for exemption.

- 6 **Performance Security:** - The Successful Contractor will be required to furnish an amount @ 3% of Total Annual Contract Value (inclusive of GST) as a performance security in the form of Bank Guarantee/Fixed Deposit Receipt/Demand Draft from any Nationalized Bank duly pledged in the name of the "**Director, Desert Medicine Research Centre**" payable at Jodhpur within 30 days from the award of contract. Security Deposit shall be kept valid for a period of 60 days beyond completion of all the contractual obligations. The Performance security deposit can be forfeited by order of this Institute in the event of any breach or negligence or non-observance of any condition of contract or for unsatisfactory performance or non-observance of any condition of the contract. In case, the successful bidder shows inability at any stage, after the contract is finalized and awarded for whatsoever reason(s), to honor the contract, the Performance Security deposited would be forfeited. Performance Security will be discharged after 60 days from the completion of contractor's performance obligations under the contract. No interest on Security deposit shall be paid by the NIIR-NCD to the bidder.
- 7 Initially the contract will be for a period of one year and if the services rendered by the contractor are found to be satisfactory, the contract may be extended further up to for another one year on same terms & condition.
- 8 The firm shall be liable to implement the Labor laws, minimum wages Act and other social legislations Act i.e. EPF, ESI etc. as amended & notified by Govt. of India from time to time for the manpower engaged by the agency.
- 9 The Contractor will have to Security personnel (Security Guard and Supervisor) under this contract. However, the contractor has to depute the manpower as follows:



- I. 13 Security Guards (12 Male Guards + 01 Female Guard) for Security Services at NIIRNCD Jodhpur Campus.
- II. 01 Security Supervisor for Security Services at NIIRNCD Jodhpur Campus.

The above no. of Persons may be increased or decreased as per requirement of the Institute. Wages for these persons will be as per rates as prescribed by /Central/ Rajasthan Govt. whichever is higher, will be applicable.

**10 The minimum qualification, experience and responsibilities would be as under:**

S.No.	Roles	Desired Qualification	Responsibilities
1.	Security Supervisor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Should have knowledge of security related matters ,industrial safety ,fire fighting and allied functions</li> <li>2. Should be able to exercise command and control over the security personal deployed Physical standards and medical fitness as per PSARA Act and Rules</li> <li>3. Should be minimum 12 Pass</li> <li>4. Should have knowledge of English, Hindi &amp; Local Language</li> <li>5. Experience of 5 years</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Should be required to carry out supervision of all security related activities in the organization as well as advice and assist security guards and other security related persons in carrying out their duties.</li> <li>2. Should be able to carry out or supervise protocol activities of receiving, escorting, seeing VIPs to and to liaise with police and other investigating agencies as and when required.</li> <li>3. Should be available in general shift on All working days.</li> </ol>
2.	Un Armed Male Security Guard	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Should have knowledge of Security related matters, industrial safety and allied Functions.</li> <li>2. Preference will be given to a person who has served in police and Home Guards.</li> <li>3. Minimum 10 pass</li> <li>4. Should have knowledge of Hindi or English and local language.</li> <li>5. Good physique and personality fulfilling requirements of physical standards and medical fitness as per PSARA Act and Rules.</li> <li>6. Minimum Experience 3 years</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Working shifts round the clock.</li> <li>2. Carry out activity of protecting the premises from any un authorized entry, robbery, theft etc.</li> <li>3. To provide private security to another person or property or both,</li> <li>4. To render necessary assistance to the police in the process of any investigation pertaining to the activities of the organization in which he is employed.</li> <li>5. To bring to the notice of supervisor the violation of any law noticed during the course of discharge of his duties</li> </ol>
3.	Un Armed Lady Security Guard	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Should have knowledge of Security related matters, industrial safety and allied Functions.</li> <li>2. Preference will be given to a person who has served in police and Home Guards.</li> <li>3. Minimum 10 pass</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Should be available on all working days. However it should be ensured that they are given weekly offs and shifts are rotated</li> <li>Carry out activity of protecting the premises from any un authorized entry, robbery, theft etc.</li> </ol>



		4. Should have knowledge of Hindi or English and local language. 5. Good physique and personality fulfilling requirements of physical standards and medical fitness as per PSARA Act and Rules 6. Minimum Experience 3 year	2. To provide private security to another person or property or both, 3. To render necessary assistance to the police in the process of any investigation pertaining to the activities of the organization in which he is employed. 4. To bring to the notice of supervisor the violation of any law noticed during the course of discharge of his duties
--	--	---	---

**Additional Responsibilities:-**

- a) In addition to roles and responsibilities indicated above following shall also be part of responsibilities of security man power.
- To Provide Security services for protection of life. Security against theft, pilferage, fire etc for man and material in the premises.
  - Physical guarding of entry/exit points, Responsible for frisking/checking of the visitors during office hours and after, Screening /Directing of visitors .Visitor management in common and during special occasions .Guiding visitors to the concerned officials/occupants, regulating entry. Control the access of persons/vehicles in to and out of the complex and regulating entry of unwanted visitors/sales man and maintenance of visitor register.
  - Checking of gate passes, allowing the entry and exit of material and regulating the entry and exit of vehicles accordingly. Records of the inwards and outwards movement of men and material's, vehicles etc to be maintained with proper checking as per instructions given from time to time by the NIIRNCD organization.
  - Patrolling and guarding various common areas and surroundings to ensure adequate safety and security. Preventing entry of stray animals like cow, dogs etc. Round the clock patrolling of sites .Ensuring that boom barriers and access control systems are monitored and are in operational condition.
  - Assisting the occupants during emergency evacuation of building .Effective involvement during the crisis management like accidents and bomb threats .Involve in frequent drills for preparation for emergencies. Handling of disaster management in case of emergencies and disasters
  - Rescue operation of passengers if stranded in lifts, Help occupants in any accidents or medical emergencies. Handling situation in case of fire
  - Liaison with appropriate agencies in case of disaster and emergencies and keep excellent liaison and contact with all such agencies
  - Lodging of Complaints/FIR in case of any crime or violence and assist the police and other security agencies in their investigation in any related matter.
- b) Any other responsibility in connection with performance of the roles specified though not specifically covered above shall also be considered as part of the responsibilities of the security man power.



- 11 The Contractor will ensure that his staff members are disciplined neatly dressed and speak politely to officials in the Campus.
- 12 NIIR-NCD will not be responsible for any injury, loss of life or any mishap to contractor's staff while on duty during stay in premises or otherwise.
- 13 The Contractor will provide uniform to his staff.
- 14 The agency before submitting the tender may inspect the office premises during office hours on any working days.
- 15 The number of man power mentioned above may vary at any time as per the demand of this Office.
- 16 This Office reserves the right to accept or reject any tender/quotation without assigning any reason.
- 17 The contractor will be responsible for discharging liabilities in respect of the workers working under him as per Central/ State Govt. rules & regulations.
- 18 The payment of wages/salary to the outsourced staff to be made mandatorily through electronic bank transfers.
- 19 The contractor has to sign an agreement on a non-judicial stamp paper as per stamp Act within seven days of award of work.
- 20 The Contract can be terminated by NIIR-NCD any time by giving one months notice.
- 21 No conditional bid shall be entertained.
- 22 NIIR-NCD will have the right to verify the authenticity of documents submitted by personal inspection/visit the contractor establishment.
- 23 **Evaluation of Performance:** After 3 months of operation, the contractor will be evaluated on the basis of the guidelines and rules detailed in this document. If the contractor fails to meet the expectation and promises made, license agreement can be cancelled.
- 24 **Fulfillment of Statutory Provisions:** The contractor will ensure the compliance of all statutory provisions i.e. Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Industrial Disputes Act, Contract labour (Regulations and Abolition) Act, ESIC Act, 1948 and EPF Act, 1952 and all other labour and industrial enactment at his own risk and cost in respect of all staff employed by him. The Institute shall be indemnified for any action brought against it for any violation/non-compliance of any of the provisions of any of the acts, etc. Hence, non-compliance or violation of any of these provisions of any of the Acts would lead to the immediate termination of the contract. Contractor will submit the proofs of payments towards EPF, ESIC and GST (if applicable) dues of previous month for claiming subsequent month's payment.
- 25 **Details of Workers:**
  - a) The contractor shall submit a list of workers, with complete details including local/permanent addresses, contact details, and their photographs etc, for approval, which may be allowed to work at NIIRNCD. NIIRNCD reserves right to reject any or all





the names without assigning any reason thereof. Only those workers who have been cleared by the NIIR-NCD will be allowed to enter into the premises of the Campus..

- b) The contractor has to provide the Photo Identity card to the persons employed by him for carrying out the work. These cards are to be constantly displayed and their loss to be reported immediately.
- c) The character and antecedent of the staff provided by the agency should be verified by local police and a certificate to this effect should be enclosed while providing the details of workers.

**26 Payment date of Salary to the Workmen:**

The Contractor has to pay the salary to workmen by 10<sup>th</sup> of every month for immediate previous months work without waiting for clearance of his pending bills. Any delay in the payment will be penalized by Rs. 2000 (two thousand) per day. The Payment shall be made strictly on satisfactory work and on daily attendance basis. Contractor will issue salary slip to all staff members engaged and shall remit the salary in the staffs account through NET banking to ensure the timely payment. Contractor will also be responsible for the opening of bank account of all employees to nearby bank at their own cost in order to transfer the salaries of employees' directly to their accounts.

**27 Maintenance of Attendance Record:** The contractor has to maintain attendance record of workmen and NIIRNCD in-Charge shall certify that A copy of the same record shall be submitted every month along with the bill for payment.

**28 Accident or Injury to Workmen:** The Institute shall not be liable for any damage or compensation payable in respect of or in consequence of any accident or injury to any workmen or other person in the employment of the contractor through claim from insurance company. The contractor shall indemnify and keep the Institute indemnified against all such damage and compensation whatsoever in respect or in relation thereto.

**29 Compliance of Institute's Security & Safety Regulations:**

- a) The contractor will be responsible for his employees in observing all security and safety regulations and instructions as may be issued by the Institute from time to time. The contractor will be responsible to take appropriate disciplinary actions against his workers to fulfill his obligations under this agreement, provided that, action should be taken in accordance with Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946 and the NIIR-NCD Authority should be informed at every point of time.
- b) Contractor will ensure that their employees should protect the Institute's information received during discharge of their duties from any unauthorized disclosure to third party without permission.

**30 Penalty of Unsatisfactory Service:**



- a) In case the services are found deficient on any one particular day in a month, a penalty of 1% (one percent) of the monthly contract amount for unsatisfactory service.
- b) In case Services are found deficient for 2 to 4 days in a month, penalty of 2% of the monthly contract amount will be levied for each deficient day. If deficiency is found for more than 4 day and up to 7 days a penalty of 3% of the monthly contract amount will be levied for each deficient day. If deficiency found more than 7 days up to 10 days , a penalty of 5% of the monthly contract amount will be levied for each deficient day.
- c) If unsatisfactory performance continues for more than a period of 10 days, the Director, NIIR-NCD reserves the right to terminate the contract without any further notice. In such an event, the Security Deposit of the Contractor shall be liable to be forfeited.
- d) Unsatisfactory services/Deficiency in services includes, but is not limited to the following:
  - Late coming; Coming in shoddy/dirty uniform; Reporting drunk/ill/unkempt;
  - Leave without 1 day prior information; Fudging/Tampering attendance register/biometric machine; Rude, impolite behavior; Lazy, uncooperative in rendering duty; Damage to property of NIIR-NCD; any act so as to cause damage to prestige reputation of NIIR-NCD; Smoking/pan/bidi during working hours; Attending personal phone calls during working hours; Violence of any kind, infighting, groupism with fellow staff; insubordination; Financial irregularity; Bringing/allowing unauthorized person into premises; Coming without badge/ I card; Refusing to attend training course designated by NIIR-NCD etc.

**31 Jurisdiction of Court:** This contract is governed by the laws of Republic of India and shall be subject to be exclusive jurisdiction of the High Court in Jodhpur, Rajasthan.

**SERVICE PROVIDER'S OBLIGATIONS:-**

**1. Employment of man power by service provider:**

- 1.1 Service provider providing the security services shall not employ or engage any person unless he or she is a citizen of India or a citizen of such other country as permitted to be employed in terms of Government rules and regulations in force.
- 1.2 Service provider shall employ only man power who has completed eighteen years of age and not above 65 years of age .Security agency shall only employ man power who satisfied the service provider about his character and antecedents and has completed the prescribed security training .Service provider shall only engage man power fulfilling such physical standards as may be prescribed in the PSRA 2005 and rules . Further man power shall satisfy any other conditions as may be prescribed in relevant rules.



- 1.3 No person who has been convicted by a competent court or who has been dismissed or removed on grounds of misconduct, or moral turpitude while serving in any of the armed forces of the Union, State Police Organization, Central or State Governments or in any private security agency shall be employed or engaged by the service provider.
  - 1.4 Service provider, while employing a person shall give preference to a person who has served as a member in Army ,Navy and Air force or other central paramilitary forces , Central Police forces , even for posts which are not specifically indicated as that of ex service man in the roles and responsibilities.
  - 1.5 The antecedents of security staff deployed shall be verified by the service provider from local police authority and an undertaking in this regard is to be submitted to the NIIRNCD and NIIRNCD shall ensure that the service provider complies with the provisions.
  - 1.6 The service provider shall deploy his personnel only after obtaining the NIIRNCD approval upon duly submitting curriculum vitae (cv) and police verification details of personnel NIIRNCD shall be informed at least one week in advance and service provider shall be required to obtain NIIRNCDs approval for all such changes along with their CVs.
  - 1.7 The NIIRNCD shall have the right, within reason, to have any personnel removed who is considered to be undesirable with proper reasoning or otherwise and similarly the Service Provider reserves the right to remove any personnel with prior intimation to the NIIRNCD, emergencies, exempted
- 2. Registers to be maintained by Service provider**
- 2.1 Service Provider shall maintain a register containing name and addresses of the persons managing the private security agency, names, addresses, photographs and salaries of the security personnel and supervisors under its control and such other particulars as may be prescribed under PSRA act.
  - 2.2 Service provider will maintain a register on which day today employment of personnel with NIIRNCD organization will be entered and same will be countersigned by the authorized official of the NIIRNCD .While raising bill the deployment particulars of the personnel engaged during the month, shift wise should be shown to NIIRNCD. NIIRNCD may call for such information as it considers necessary from service provider.
  - 2.3 The Service Provider shall maintain all statutory registers under the Law and shall produce the same, on demand to the NIIRNCD or any other authority under Law.
- 3. Issue of photo identity card**
- 3.1 Every security man power deployed by the service provider shall be issued a photo identity card, by the service provider.
  - 3.2 The photo identity card shall be issued in such form as may be prescribed by the NIIRNCD organization and complying with PSARA Act and rules. Every security man power shall carry on his person the photo identity card issued under and shall



produce it on demand for inspection by the NIIRNCD or any other officer authorized by same.

#### **4. Requirements of Licenses**

- 4.1 Service provider shall be holding a valid license under the provision of **Private Security Regulations Act (PSARA)** providing for operation in the respective State or Union territory where services are being offered. Service provider shall ensure that all the relevant licenses/registrations/permissions which may be required for providing the services are valid during the entire period of the contract failing so shall attract the appropriate penalties. The documents relevant in this regard shall be provided by the service provider to the NIIRNCD on demand.
- 4.2 The service provider shall comply with all the legal requirements for obtaining license under Contract Labor Regulations and Abolition Act 1970 if any at his own part and cost. The requirement shall be depending up on the number of persons engaged for the organization in terms of the provisions of the relevant act.
- 4.3 The service provider shall maintain all statutory registers required to be maintained as per licence provisions under the law and shall produce same on demand to the NIIRNCD or any other authority under the law.

#### **5. Training**

The Service Provider shall have his own Establishment/set up/mechanism/Training institute recognized under PSARA 2005 or have tie up with institutions recognized in terms of PSARA 2005 to provide training for security man power with them to ensure correct and satisfactory performance of his/her liabilities and responsibilities. Only such man power who have undergone training and holding certificate should be deployed under the contract, The training shall be for a minimum period as specified in the PSARA act and in terms of the detailed training syllabus as prescribed in the act. The ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only as per provisions in the PSARA act.

#### **6. Conduct of the security man power deployed**

- 6.1 The security personnel shall not accept any gratitude or reward in any form.
- 6.2 Under the terms of their employment agreement with the Service Provider the Security staff shall not do any professional or other work for reward or otherwise either directly or indirectly, except for and on behalf of the Service Provider.
- 6.3 The personnel engaged by service provider have to be extremely courteous with very pleasant mannerism in dealing with the NIIRNCD Staff and should project an image of utmost discipline. NIIRNCD shall have right to have any person removed in case of its staff complaints or as decided by representative of the NIIRNCD if the person is not performing the job satisfactorily or otherwise. The Service Provider shall have to arrange suitable replacement in all such cases. Security man power engaged by the Service Provider shall not take part in any staff union and association.



6.4 The persons deployed shall, during the course of their work be privy to certain confidential documents and information which they are not supposed to divulge to third In view of this, they shall be required to take oath of confidentiality and breach of this condition shall make Service Provider as well as the person deployed liable for penal action under the applicable laws besides, action for breach of contract.

## **7. Uniform and Badges**

7.1 Service provider shall ensure that all security man power shall put on arms badge distinguisher the Agency for which they are working, shoulder or chest badge to indicate his role or function. Man power employed as Security guards shall, have whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket,. Shoes with eyelet and laces, headgear which may also carry the distinguisher mark of the service provider.

7.2 The clothes worn by the security man power while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In Particular they will neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.

7.3 Every man power functioning as security guard will carry a notebook and writing instrument with him.

7.4 Every security person shall be provided one good quality torch and one baton.

7.5 Every man power functioning as security guard while on active security duty will wear and display photo- identity card issued on the outer most garment above waist level on his person in s conspicuous manner.

7.6 Parameters of the uniform shall conform to provisions of PSARA 2005.

## **8. Monitoring and Supervision by the service provider**

8.1 Service provider shall ensure that adequate supervision will be provided to ensure correct performance of the man power deployed in accordance with the prevailing assignment instructions agreed upon between the service provider and NIIRNCD organization. Even if security supervisor is not availed by the NIIRNCD organization service provider should keep track of performance of the staff deployed and give necessary support to ensure good performance.

8.2 The Service Provider will deploy supervisors as per the need given by the NIIRNCD. The supervisor shall be required to work as per the instructions of NIIRNCD.

8.3 The Service Provider shall do and perform all such Security services, acts, matters and things connected with the administration, superintendence and conduct of the arrangements as per the direction enumerated herein and in accordance with such directions, which the NIIRNCD may issue from time to time and which have been mutually agreed upon between the two parties.

8.4 The Service Provider shall be responsible to maintain all property and equipment of the NIIRNCD entrusted to it.



8.5 The Service Provider shall nominate a coordinator who shall be responsible for regular interaction with the NIIRNCD so that optimal services of the persons deployed could be availed without any disruption.

#### **9. Working hours and Reporting Time**

The personnel will have to report to the NIIRNCD's security office at least 30 minutes in advance of the commencement of the shift for collecting necessary documents/instructions, and to complete all other required formalities as approved by the NIIRNCD. The working hours and days of the outsourced employees will be as per the existing applicable rules of the respective Central/State Government However; they have to work on holidays and on demand of work. In an event of deployed personnel availing leave and if required by NIIRNCD suitable substitute(s) shall be provided by service provider as per mutual understanding with Consequent to poor performance of deployed personnel, service provider shall immediately replace the deployed personnel thereby maintaining service levels and Working shifts (includes day and night shift) if any, and daily working hours shall be mutually agreed upon between NIIRNCD and seller prior to deployment of personnel. The attendance of the employees will be entered in the register provided by the Service Provider and/or in the Aadhaar based Biometric attendance system at the NIIRNCD's In case biometric system insisted; same is to be made available by NIIRNCD and access to be provided to the security persons deployed by service provider. The persons deployed should be polite, cordial and efficient while handling the assigned work and their actions should promote good will and enhance the image of the Corporation or office The Service Provider shall be responsible for any act of indiscipline on the part of the persons deployed.

#### **10. Physical standards and Medical check up**

10.1 The security man power deployed shall be eligible for being engaged or employed if he or she fulfills the standards of physical fitness as specified in the PSARA Act 2005. Service provider is therefore required to ensure that all deployed man power fulfill the requirements specified in PSARA Act. Service provider Agency should get medical check-up of its staff at the time of their induction in the rolls of the agency to ensure their fitness for the job assigned and annual medical check-ups to be done as prescribed under PSARA. A record of the same shall be maintained in the personal file of the security personnel. In case NIIRNCD demands for a copy of medical fitness certificate at time of deployment to their organization same shall be given.

10.2 The security man power deployed should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He or she should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.



10.3 No medical facilities or reimbursement or any sort of medical claims thereof in respect of employees provided by the Service Provider will be entertained by the NIIRNCD.

### 11. Applicable Leave

11.1 In case of services hired for all 7 days also it shall be ensured that service personnel are given at least 4 holidays in a month.

11.2 The applicable casual leave is to be provided to the personnel and the payment for the applicable leave also shall be taken in to account for calculation of the payment to be made by the NIIRNCD.

11.3 Beyond specified leaves as applicable, leave will be treated as leave without pay (LWP) for which necessary deduction will be made by the NIIRNCD in the billed amount if no replacement is provided besides any penalty for not providing substitutes as indicated in SLA(Service level agreement).

**Director**

ANNEXURE-I

### BIDDER'S PROFILE

1	Name of Tendering Company/ Firm / Agency (Attach certificate of registration)	
2	Type of firm i.e. Proprietorship / partnership or company registered under company act 1956 (Attach Self Attested copy)	
3	Name of proprietor / Director of Company/Firm/agency	
4	Full Address of Registered Office with Telephone No., FAX No. & E-Mail	
5	Full address of Operating/Branch Office with Telephone No., FAX No. & E-Mail	
6	PAN / GIR/TAN No (Attach Self Attested copy)	
7	GST Registration No. (Attach Self Attested copy)	



8. Self-Attested copy of experience certificate / certificates issued by the competent authority for the satisfactory work carried out in supplying of Printing material to Central/State Government/ Public Sector companies for two year or more during the last five years. The summary of that can be tabulated in the given format in chronological order:-

S.N.	Details of client along with address, telephone and FAX numbers	Amount of Contract (Rs. lakhs)	Experience certificate for the period	
			From	To
1				
2				
3				

(If the space provided is insufficient, a separate sheet may be attached)

9. Additional information, if any (Attach separate sheet, if required)

- Name:
- Date:
- Place:

- Signature of authorized person
- Seal:

ANNEXURE-II

**DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/ NON-BLACKLISTING FROM  
TAKING PART IN GOVT.TENDER BY DOT/GOVT. DEPT  
(On Bidder's Letter head)**

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.-----  
-----hereby declare that the firm/company namely M/S.-----  
-----has not been blacklisted or  
debarred in the past by NIIRNCD or any other Government organization from taking part in  
Government tenders.

Or

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.-----  
-----hereby declare that the firm/company namely  
M/S.-----was blacklisted or debarred  
by NIIRNCD, or any other Government Department from taking part in Government tenders for





a period of -----years w.e.f.-----. The period is over on -----and now the firm/company is entitled to take part in Government tenders.

In case the above information found false I/We are fully aware that the tender/ contract will be rejected/cancelled Director, NIIRNCD, Jodhpur and EMD/SD shall be forfeited.

In addition to the above, Director, NIIRNCD, Jodhpur will not be bound to pay the bills for any completed / partially completed work.

Signature -----

Date:

Name -----

Seal of the firm should be affixed.

Capacity in which signed:

Name & address of the firm:

ANNEXURE-III

**DECLARATION  
(On Bidder's Letter head)**

**FOR NO NEAR RELATIVE (S) OF THE CONTRACTOR WORKING IN NIIRNCD,  
JODHPUR**

I.....S/O Sh.....  
R/o.....Hereby certify that none of my relative (s)  
as defined in the tender document is/are employed in NIIRNCD, Jodhpur as per detail given  
below. In case at any stage, it is found that the information given by me is false/incorrect,  
NIIRNCD shall have the absolute right to take any action as deemed fit, without any prior  
intimation to me.

Signature of the tenderer with seal

The near relative (s) means:



- a) Members of a Hindu Undivided family;  
b) Spouse.  
c) Father, mother, sister, Sister-in-law, Daughter, Daughter-in-law, brother, brother-in-law etc.

In case of proprietorship firm, certificate will be given by the proprietor, and in case of partnership firm, certificate will be given by all the partners and in case of Ltd. Company by all the Directors of the company or company secretary on behalf of all directors. Any breach of these conditions by the company or firm or any other person, the tender/work will be cancelled and earnest money/security deposit will be forfeited at any stage whenever it is so noticed. The department will not pay any damages to the company or firm or the concerned person. The company or firm or the persons will also be debarred for further participation in the concerned unit.

Place:

Signature of tenderer/Authorized Signatory

Date:

Name of the Tenderer

Seal of the Tenderer

ANNEXURE-IV

**DECLARATION  
(On Bidder's Letter head)**

FOR NON-TAMEPRING OF DOWNLOADED TENDER DOCUMENT FROM WEB SITE

I.....(authorized signatory) hereby declare that the tender document submitted has been downloaded from the website <https://eprocure.gov.in/> <https://niirnacd.icmr.org.in/> and no addition / deletion / correction has been made in the downloaded document. I also declare that I have enclosed a DD for Rs..... towards the cost of tender document along with the EMD.

Place:

Signature of tenderer/Authorized Signatory



Date:

Name of the Tenderer  
Seal of the Tenderer

ANNEXURE-V

**DECLARATION**  
**(On Bidder's Letter head)**

LETTER OF AUTHORISATION FOR ATTENDING THE OFFICE

To,  
Director,  
NIIRNCD, New Pali Road,  
Jodhpur.

Sub: Authorization for attending the office on \_\_\_\_\_ (date) in the Tender of  
\_\_\_\_\_

Sir,



Following person is authorized to attend the office for the tender mentioned above on behalf of  
\_\_\_\_\_ (Bidder).

Name of the Representative

Specimen Signature

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Signature of the Bidder

(Maximum one representative will be permitted to attend the office. Permission for entry to the office may be refused in case authorization as prescribed above is not received.)

ANNEXURE-VI

**Bid Security Declaration**  
**(On Bidder's Letter head)**

To,  
The Director,  
National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases (NIIRNCD),  
New Pali Road, Jodhpur 342005

Reference: 1) Tender No.----- Dated  
2) Our bid No. ----- Dated

Sir,  
I/We, ----- irrevocably declare as under:



I/We understand that, as per tender condition bid must be supported by a Bid Security Declaration in lieu of Earnest Money Deposit.

I/We hereby accept that I/We may be disqualified/suspended from bidding for any contract with you for a period of one year from the date of disqualification/suspension as may be notified by you if,

- 1) I am/We are in a breach of any of the obligations under the bid conditions,
- 2) I/We have withdrawn or unilaterally modified/amended/revised, my our Bid during the bid validity period specified in the form of Bid or extended period, if any.
- 3) On acceptance of my/our bid, I/we fail to deposit the prescribed security deposit of fail to execute the agreement or fail to commence the execution of the work in accordance with the terms and conditions and within the specified time.

Signature:

Name & designation of the authorized person signing the Bid-Security Declaration Form:

-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of : -----

-----(Complete name of Bidder)

Dated on ----- day of -----month, -----year

(Note: In case of a Joint Venture, the Bid Security Declaration must be in the name of all partners to the Joint Venture that submits the bid).

**Annexure –A**

**National Institute for Implementation Research on Non Communicable  
Diseases, Jodhpur**

**(Financial Bid)**

S. No	Description	Monthly Charges in Rupees	Total Yearly Amount (in Rs.)
1	Service Charge for skilled- Security Personnel (12 Male		



	guard, 01 Female guard and 01 Supervisor) at NIIRNCD, Jodhpur.		
	Monthly Service Charge in Words:		

# (The contractors must ensure that service charge quoted should not be NIL or its derivatives.)

- Minimum wages, EPF, ESI, Bonus etc. will be as per rule.

*Note:*

1. As per Govt. of India Gazette the ESI subscription rates have been reduced from 4.75% earlier to 3.25 % from 1<sup>st</sup> of July, 2019.
2. EPF contribution taken on maximum wage ceiling of Rs. 15000/-
3. Upper limit of ESI applicability is Rs. 21000/-
4. Upper limit of bonus applicability is Rs. 7000/-
5. Wages are subject to amendments as and when promulgated by the concerned authorities from time to time.
6. The above mentioned minimum wages will be charged as per Central/Rajasthan government rules and whichever would be higher will be applicable.

Signature of Tenderer with date



क्रमांक. सं. डीएमआरसी/स्था/भंडार/रखरखाव/बीसी मिनट्स/2012E0601 वॉल्यूम। III/  
दिनांक 06.12.2021

निविदा दस्तावेज की लागत रु. 500/

## राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में

### सुरक्षा कार्मिक सेवा

### के लिये

### निविदा दस्तावेज़

#### निविदा प्रक्रिया के लिए समय सारिणी:

आधिकारिक वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर निविदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	06.12.2021
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	28.12.2021 शाम 5:30 बजे
बोली खोलने की तिथि और समय	29.12.2021 प्रातः 11:00 बजे
बोली जमा करने का स्थान	आई.सी.एम.आर.-एन.आई.आइ.आर.एन.सी.डी., जोधपुर

- निदेशक, एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर को संबोधित केवल भौतिक बोली ही स्वीकार की जाएगी।



## परिचय:

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान 07 दिसंबर 2019 को अस्तित्व में आया। इसका पूर्ववर्ती नाम "मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र" था, जो बदल गया है। संस्थान के पास सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन और वेक्टर जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में बुनियादी प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधा है। संस्थान असंचारी रोगों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने के लिए अपनी क्षमता को सशक्त बनाने हेतु जनशक्ति और सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में, संस्थान में 10 समर्पित वैज्ञानिकों, 9 तकनीकी विशेषज्ञों का एक समूह है, जो 28 प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों द्वारा योग्यतापूर्वक समर्थित है। अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र भारत में जन स्वास्थ्य महत्व के हृदय रोग, सांस की पुरानी बीमारियां, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पोषण संबंधी विकार, कैंसर, चोट और आघात, मादक द्रव्यों के सेवन सहित मानसिक बीमारियां, आनुवंशिक रोग और अन्य असंचारी रोग हैं। संस्थान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने, अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में कार्यान्वयन अनुसंधान के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, विभिन्न असंचारी रोगों के जोखिम कारकों से निपटने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री और मॉडल विकसित करने की इच्छा रखता है। संस्थान इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के साथ सहभागिता के लिए हार्दिक स्वागत करता है।

## निविदा आमंत्रण सूचना:

### **एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर में सुरक्षा सेवा के लिए कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन हेतु**

निदेशक, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर) सुरक्षा सेवा के लिए कर्मियों को प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से वेबसाइट <https://niirncd.icmr.org.in> / <https://icmr.gov.in/> और सीपीपी पोर्टल <https://eprocure.gov.in/> के माध्यम से बोली आमंत्रित करता है। भविष्य में किसी भी स्पष्टीकरण और/या शुद्धिपत्र को उन्हीं वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।





## **कार्य-क्षेत्र**

1. एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना
2. इस सेवा का उद्देश्य संस्थान परिसर में सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सुगम बनाना है। सेवा प्रदाता एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. की आवश्यकताओं के अनुसार उल्लिखित पारियों के लिए आवश्यक उपकरण और कर्मियों को उपलब्ध कराएगा।

## **पूर्व योग्यता (तकनीकी बोली) के लिए नियम और शर्तें: -**

1. अनुबंध-I से VI तक के अनुसार बोलीदाताओं की घोषणाएं/पत्र।
2. आउटसोर्सिंग एजेंसी (सेवा प्रदाता) एक पंजीकृत कानूनी इकाई होनी चाहिए, जैसे कंपनी, सोसाइटी, एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी), आदि।
3. कंपनी, फर्म या एजेंसी को केंद्र/राज्य सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।
4. पिछले तीन साल अर्थात् वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न और टर्नओवर के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र की स्वयं अनुप्रमाणित वैध प्रति।
5. केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संगठनों/सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों/उपक्रमों/संगठनों में सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्र में कम से कम 3 (तीन) वर्षों के अनुभव की दस्तावेजी साक्ष्य और ग्राहक सूची के साथ विस्तृत कंपनी प्रोफाइल। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। किसी भी कार्य आदेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. सेवा प्रदाता के पास ई.एस.आई., ई.पी.एफ. और जी.एस.टी. के तहत वैध पंजीकरण होना चाहिए (प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए)
7. पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ई.एस.आई., पी.एफ. और जी.एस.टी. प्राधिकारियों को अद्यतन प्रेषण की प्रति।
8. बैंक खाते का विवरण, बैंक का नाम, पता, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड आदि।
9. कंपनी, फर्म, सेवा प्रदाता या एजेंसी को केंद्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए / लाइसेंस के लिए अनुरोध किया हो और बोली निविदा खोलने की तारीख को कम से कम 3 महीने के लिए वैध होना चाहिए।
10. सेवा प्रदाता के पास निजी सुरक्षा विनियम अधिनियम (पी.एस.ए.आर.ए.) के प्रावधान के तहत एक वैध लाइसेंस होना चाहिए जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संचालन के लिए प्रदान किया जाता है, जहां सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।



11. सेवा प्रदाता के पास पी.एस.ए.आर.ए., 2005 के तहत मान्यता प्राप्त अपना स्वयं का अधिष्ठान/प्रतिष्ठान/तंत्र/प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए या पी.एस.ए.आर.ए., 2005 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उसका गठजोड़ होना चाहिए ताकि वे अपने सुरक्षा कर्मियों के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों के सही और संतोषजनक कार्य निष्पादन को सुनिश्चित कर सकें।
12. निविदा शुल्क के लिए 500 /रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (कोई छूट नहीं)

**नोट: खंड 1 से 12 में उल्लिखित सभी योग्यताएं तकनीकी बोली दस्तावेज में पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण द्वारा समर्थित होनी चाहिए, जिसके बिना निर्धारित योग्यता के लिए निविदाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।**

#### **सामान्य नियम और शर्तें:-**

1. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली (अनुलग्नक-ए) को बोली लगाने वाले/सेवा प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग लिफाफे में सील किया जाना चाहिए, जिस पर विधिवत लिखा होना चाहिए और इन दोनों मुहरबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के कवर में रखा जाना चाहिए जिसे भी सील किया जाना चाहिए और विधिवत लिखा होना चाहिए। बाहरी लिफाफे पर "एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में सुरक्षा कार्मिक सेवा के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए।
2. एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. जोधपुर में प्रत्यक्ष पत्र और प्रमाण पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी को व्यक्तिगत रूप से/पंजीकृत डाक द्वारा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 28.12.2021 को शाम 05:30 बजे है। निविदा दिनांक 29.12.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संबंधित एजेंसी/फर्म आदि के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जायेगी।
3. वित्तीय बोली जिसमें सेवा शुल्क के रूप में शून्य प्रतिशत या जिसका यौगिक 0.9999 प्रतिशत से कम हो, को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
4. **बयाना राशि:**

व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.9/4/2020-PPD दिनांक 12.11.2020 के पैरा-4 के अनुसार ; सभी बोलीदाताओं को बोली सुरक्षा/बयाना राशि जमा करने से



छूट दी गई है। तदनुसार, बोलीदाता बोली सुरक्षा/बयाना राशि के स्थान पर अनुबंध-  
VI में दिए गए निर्धारित प्रारूप में "बोली सुरक्षा घोषणा" प्रस्तुत कर सकते हैं।

#### 5. बोली सुरक्षा घोषणा में छूट:-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एम.एस.एम.ई.) द्वारा जारी एम.एस.ई. खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को छोड़कर या जो व्यय विभाग,, वित्त मंत्रालय के कार्यालय जापन सं. F.20/2/2014-PPD (Pt.) दिनांक 25.07.2017 के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्टार्टअप के साथ पंजीकृत हैं; को छोड़कर; सभी बोलीदाताओं को बोली सुरक्षा घोषणा जमा करनी होगी। छूट प्राप्त करने के लिए, संबंधित फर्म/एजेंसी को निविदा दस्तावेज के साथ वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर छूट के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

#### 6. निष्पादन जमानत: -

सफल ठेकेदार को अनुबंध प्रदान करने के 30 दिनों के भीतर जोधपुर में देय "निदेशक, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर" के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी / सावधि जमा रसीद / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निष्पादन जमानत के रूप में कुल वार्षिक अनुबंध मूल्य (जीएसटी सहित) के 3% की दर से एक राशि जमा करनी होगी। जमानत राशि सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रखी जाएगी। किसी भी उल्लंघन या लापरवाही या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करने या असंतोषजनक प्रदर्शन या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में निष्पादन जमानत इस संस्थान के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है। यदि, अनुबंध को फाइनलाइज़ करने और देने के बाद, किसी भी कारण से सफल बोलीदाता किसी भी स्तर पर असमर्थता दिखाता है, जमा की गई निष्पादन जमानत को जब्त कर लिया जाएगा। अनुबंध के तहत ठेकेदार के निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के 60 दिनों के बाद निष्पादन जमानत वापस कर दी जाएगी। एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा बोली लगाने वाले को जमानत राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।



7. प्रारंभ में अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और यदि ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं, तो अनुबंध को उन्हीं नियम और शर्तों पर एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

8. एजेंसी द्वारा नियुक्त जनशक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित और अधिसूचित श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य सामाजिक विधान अधिनियम अर्थात् ई.पी.एफ., ई.एस.आई.आदि को लागू करने के लिए फर्म उत्तरदायी होगी।

9. ठेकेदार को इस अनुबंध के तहत सुरक्षा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक) को लगाने होंगे। हालांकि, ठेकेदार को निम्नानुसार जनशक्ति की प्रतिनियुक्ति करनी होगी:

**I.** एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. जोधपुर परिसर में सुरक्षा सेवाओं के लिए 13 सुरक्षा गार्ड (12 पुरुष गार्ड + 01 महिला गार्ड)।

**II.** एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. जोधपुर परिसर में सुरक्षा सेवाओं के लिए 01 सुरक्षा पर्यवेक्षक।

संस्थान की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इन व्यक्तियों के लिए मजदूरी/केंद्र/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार होगी, जो इनमें से जो भी अधिक हो, लागू होगी।

**1 न्यूनतम योग्यता, अनुभव और जिम्मेदारियां निम्नानुसार होंगी:**

क्रमांक	भूमिका	वांछित योग्यता	जिम्मेदारियां
1.	सुरक्षा पर्यवेक्षक	1. सुरक्षा संबंधी मामलों, औद्योगिक सुरक्षा, अग्निशमन और संबद्ध कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। 2. तैनात सुरक्षा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए। शारीरिक मानकों और	1. संगठन में सुरक्षा संबंधी सभी गतिविधियों के पर्यवेक्षण के साथ-साथ सुरक्षा गार्डों और अन्य सुरक्षा संबंधी व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में सलाह और सहायता करने की आवश्यकता होगी।



		<p>पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम और नियमों के अनुसार मेडिकल फिटनेस होना चाहिए।</p> <p>3. न्यूनतम 12 वीं पास होना चाहिए।</p> <p>4. अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>5. 5 वर्षों का अनुभव।</p>	<p>2. आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) का स्वागत करने, उनका मार्गरक्षण (एस्कॉर्ट) करने, उनको देखने की प्रोटोकॉल गतिविधियों को क्रियान्वित करने या पर्यवेक्षण करने में और पुलिस तथा अन्य जांच एजेंसियों के साथ संपर्क करने सक्षम होना चाहिए।</p> <p>3. सभी कार्य दिवसों में सामान्य शिफ्ट में उपलब्ध होना चाहिए।</p>
2.	बिना सशस्त्र पुरुष सुरक्षा प्रहरी	<p>1. सुरक्षा संबंधी मामलों, औद्योगिक सुरक्षा और संबद्ध कार्यों का ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>2. उस व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी जिसने पुलिस और होमगार्ड में सेवा की हो।</p> <p>3. न्यूनतम 10 वीं पास</p> <p>4. हिंदी या अंग्रेजी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>5. पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम और नियमों के शारीरिक मानकों और मेडिकल फिटनेस की आवश्यकताओं को पुरा करते हुए अच्छी काया और व्यक्तित्व होना चाहिए।</p> <p>6. न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष</p>	<p>1. चौबीसों घंटे काम करने की शिफ्ट।</p> <p>2. किसी भी अनधिकृत प्रवेश, डकैती, चोरी आदि से परिसर की सुरक्षा की गतिविधि करना।</p> <p>3. किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को निजी सुरक्षा प्रदान करना।</p> <p>4. जिस संगठन में वह कार्यरत है, उसकी गतिविधियों से संबंधित किसी भी जांच की प्रक्रिया में पुलिस को आवश्यक सहायता प्रदान करना।</p> <p>5. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान देखे गए किसी भी कानून के उल्लंघन के बारे में पर्यवेक्षक के ध्यान में लाना।</p>
3.	बिना सशस्त्र	<p>1. सुरक्षा संबंधी मामलों, औद्योगिक सुरक्षा और संबद्ध कार्यों का ज्ञान</p>	<p>1. सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध होना चाहिए। तथापि, यह सुनिश्चित किया</p>



महिला सुरक्षा प्रहरी	<p>होना चाहिए।</p> <p>2. उस व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी जिसने पुलिस और होमगार्ड में सेवा की हो।</p> <p>3. न्यूनतम 10 वीं पास</p> <p>4. हिंदी या अंग्रेजी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>5. पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम और नियमों के शारीरिक मानकों और मेडिकल फिटनेस की आवश्यकताओं को पुरा करते हुए अच्छी काया और व्यक्तित्व होना चाहिए।</p> <p>6. न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष</p>	<p>जाना चाहिए कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और उनकी शिफ्ट बदली जाए।</p> <p>किसी भी अनधिकृत प्रवेश, डकैती, चोरी आदि से परिसर की सुरक्षा की गतिविधि करना।</p> <p>2. किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या दोनों को निजी सुरक्षा प्रदान करना।</p> <p>3. जिस संगठन में वह कार्यरत है, उसकी गतिविधियों से संबंधित किसी भी जांच की प्रक्रिया में पुलिस को आवश्यक सहायता प्रदान करना।</p> <p>4. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान देखे गए किसी भी कानून के उल्लंघन के बारे में पर्यवेक्षक के ध्यान में लाना।</p>
----------------------	--	---

**अतिरिक्त जिम्मेदारियां:-**

क. ऊपर उल्लिखित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अलावा निम्नलिखित भी सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारियों का हिस्सा होंगे।

(i) जीवन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना। परिसर में व्यक्ति और सामग्री की चोरी, छुट-पुट चोरी, आग आदि से सुरक्षा।

(ii) प्रवेश / निकास बिंदुओं पर भौतिक सुरक्षा, कार्यालय समय के दौरान और बाद में आगंतुकों की तलाशी / जाँच के लिए उत्तरदायी, आगंतुकों की स्क्रीनिंग / निर्देशन। सामान्य रूप से और विशेष अवसरों के दौरान आगंतुक प्रबंधन। संबंधित अधिकारियों / रहने वालों के लिए आगंतुकों का मार्गदर्शन करना, प्रवेश विनियमित करना। परिसर के अंदर और बाहर व्यक्तियों/वाहनों की पहुंच को नियंत्रित करना और अवांछित



आगंतुकों/विक्रेताओं के प्रवेश को विनियमित करना और आगंतुक रजिस्टर संधारित करना।

(iii) गेट पास की जांच, सामग्री के प्रवेश और निकास की अनुमति देना और वाहनों के प्रवेश और निकास को तदनुसार विनियमित करना। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित जांच के साथ पुरुषों और सामग्री, वाहनों आदि की आवक और जावक आवाजाही का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

(iv) पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सामान्य क्षेत्रों और उसके आस-पास गश्त और सुरक्षा करना। गाय, कुत्ते आदि जैसे आवारा पशुओं के प्रवेश को रोकना। चौबीसों घंटे स्थलों पर गश्त करना। यह सुनिश्चित करना कि बूम बैरियर और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की निगरानी की जाए और वे परिचालन की स्थिति में हों।

(v) भवन की आपातकालीन निकासी के दौरान रहने वालों की सहायता करना। दुर्घटनाओं और बम खतरों जैसे संकट प्रबंधन के दौरान प्रभावी भागीदारी। आपात स्थिति की तैयारी के लिए लगातार अभ्यास में शामिल हों। आपात स्थिति और आपदाओं के मामले में आपदा प्रबंधन को संभालना।

(vi) लिफ्टों में फंसे यात्रियों का बचाव अभियान, किसी भी दुर्घटना या चिकित्सा आपात स्थिति में रहने वालों की सहायता करना। आग लगने की स्थिति में स्थिति से निपटना

(vii) आपदा और आपात स्थिति के मामले में उपयुक्त एजेंसियों के साथ संपर्क करना और ऐसी सभी एजेंसियों के साथ उत्कृष्ट संपर्क और संपर्क बनाए रखना

(viii) किसी भी अपराध या हिंसा के मामले में शिकायत / प्राथमिकी दर्ज कराना और किसी भी संबंधित मामले में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उनकी जांच में सहायता करना।

ख. निर्दिष्ट भूमिकाओं के प्रदर्शन के संबंध में कोई अन्य जिम्मेदारी, हालांकि विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित नहीं की गई हो, को भी सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में माना जाएगा।



1. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्टाफ सदस्य अनुशासित साफ-सुथरे कपड़े पहने हों और परिसर में अधिकारियों से विनम्रता से बात करें।
2. एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. परिसर में रहने के दौरान या अन्यथा ड्यूटी के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों को किसी भी चोट, जीवन की हानि या किसी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध कराएगा।
4. एजेंसी निविदा जमा करने से पहले किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय परिसर का निरीक्षण कर सकती है।
5. ऊपर उल्लिखित जनशक्ति की संख्या इस कार्यालय की मांग के अनुसार किसी भी समय भिन्न हो सकती है।
6. यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/उद्धरण को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. ठेकेदार केंद्र/राज्य सरकार के नियम और विनियम के अनुसार अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों के संबंध में देनदारियों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगा।
8. आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन/वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाना है।
9. ठेकेदार को कार्य सौंपे जाने के सात दिनों के भीतर स्टाम्प अधिनियम के अनुसार एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
10. एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा किसी भी समय एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
11. किसी भी सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. एनआईआईआर-एनसीडी को व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने/ठेकेदार प्रतिष्ठान का दौरा करने का अधिकार होगा।
13. **प्रदर्शन का मूल्यांकन:** संचालन के 3 महीने बाद, ठेकेदार का मूल्यांकन इस दस्तावेज़ में विस्तृत दिशा-निर्देशों और नियमों के आधार पर किया जाएगा। यदि ठेकेदार अपेक्षाओं और किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहता है, तो लाइसेंस समझौता रद्द किया जा सकता है।





14. **वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति:** ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों के संबंध में अपने जोखिम और लागत पर सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, ई.एस.आई.सी. अधिनियम, 1948 और ई.पी.एफ. अधिनियम, 1952 और सभी अन्य श्रम और औद्योगिक अधिनियम सुनिश्चित करेगा। किसी भी अधिनियम, आदि के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन / गैर-अनुपालन के लिए इसके खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के लिए संस्थान को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसलिए, किसी भी अधिनियम के इन प्रावधानों में से किसी का भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन होने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। ठेकेदार बाद के महीने के भुगतान का दावा करने के लिए पिछले महीने के ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. और जी.एस.टी. (यदि लागू हो) के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

**15. श्रमिकों का विवरण:**

- क) ठेकेदार स्थानीय/स्थायी पते, संपर्क विवरण, और उनकी फोटो आदि सहित पूर्ण विवरण के साथ श्रमिकों की एक सूची अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसे एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। एनआईआईआरएनसीडी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी नामों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। केवल एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा स्वीकृत किए गए श्रमिकों को ही परिसर के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
- ख) ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों को फोटो पहचान पत्र प्रदान करना होगा। इन कार्डों को लगातार प्रदर्शित किया जाना है और उनके नुकसान की तुरंत सूचना दी जानी है।
- ग) एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए और श्रमिकों का विवरण प्रदान करते हुए इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

**16. कामगारों को वेतन भुगतान की तिथि :**



- ठेकेदार को अपने लंबित बिलों की निकासी की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल पिछले महीने के काम के लिए हर महीने की 10 तारीख तक कामगारों को वेतन का भुगतान करना होगा। भुगतान में किसी भी तरह की देरी पर रुपये 2000 (दो हजार) प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। भुगतान कड़ाई से संतोषजनक कार्य और दैनिक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार सभी कर्मचारियों को वेतन पर्ची जारी करेगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से कर्मचारियों के खाते में वेतन जमा करेगा। कर्मचारियों के वेतन को सीधे उनके खातों में स्थानांतरित करने के लिए सभी कर्मचारियों के बैंक खाते को अपने स्वयं के खर्च पर पास के बैंक में खोलने के लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
17. **उपस्थिति रिकॉर्ड का रखरखाव:** ठेकेदार को कामगारों का उपस्थिति रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. प्रभारी इसे प्रमाणित करेंगे। भुगतान के लिए बिल के साथ उसी रिकॉर्ड की एक प्रति हर महीने जमा करनी होगी।
18. **दुर्घटना या कामगारों को चोट:** संस्थान बीमा कंपनी के दावे के माध्यम से ठेकेदार के रोजगार में किसी भी कामगार या अन्य व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना या चोट के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप देय किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार इस तरह के सभी नुकसान और मुआवजे के संबंध में या उसके संबंध में संस्थान को सुरक्षित रखेगा और क्षतिपूर्ति करेगा।
19. **संस्थान के सुरक्षा और बचाव विनियमों का अनुपालन:**
- क) संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी सुरक्षा और बचाव नियमों और निर्देशों का पालन करने के लिए ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि कार्रवाई औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अनुसार की जानी चाहिए और एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. प्राधिकारी को हर समय सूचित किया जाना चाहिए।



ख) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान प्राप्त संस्थान की जानकारी को बिना अनुमति के तीसरे पक्ष को किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रखें।

## 20. असंतोषजनक सेवा का दंड:

क) यदि महीने में किसी एक विशेष दिन सेवाओं में कमी पाई जाती है, तो असंतोषजनक सेवा के लिए मासिक अनुबंध राशि का 1% (एक प्रतिशत) जुर्माना लगाया जाएगा।

ख) यदि महीने में 2 से 4 दिनों तक सेवा में कमी पाई जाती है, तो प्रत्येक कमी वाले दिन के लिए मासिक अनुबंध राशि का 2% जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 4 दिन से अधिक और 7 दिनों तक कमी पाई जाती है मासिक अनुबंध राशि का 3% प्रत्येक कमी वाले दिन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 7 दिनों से अधिक 10 दिनों तक कमी पाई जाती है, तो प्रत्येक कमी वाले दिन के लिए मासिक अनुबंध राशि का 5% जुर्माना लगाया जाएगा।

ग) यदि असंतोषजनक प्रदर्शन 10 दिनों की अवधि से अधिक समय तक जारी रहता है, तो निदेशक, एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. बिना किसी और सूचना के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

घ) असंतोषजनक सेवाओं/सेवाओं में कमी में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

देर से आना; घटिया/गंदी वर्दी में आना; नशे में/बीमार/अस्तव्यस्त हालत में ड्युटी पर आना; 1 दिन पूर्व सूचना के बिना छुट्टी; उपस्थिति रजिस्टर/बायोमेट्रिक मशीन में हेराफेरी/छेड़छाड़ करना; अशिष्ट, अभद्र व्यवहार; कर्तव्य पालन में आलसी, असहयोगी; एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. की संपत्ति को नुकसान; एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य; काम के घंटों के दौरान धूम्रपान/पान खाना/बीड़ी पीना; काम के घंटों के दौरान व्यक्तिगत फोन कॉल करना; साथी कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, अंदरूनी कलह, गुटबाजी; अवज्ञा; वित्तीय अनियमितता; अनधिकृत व्यक्ति को परिसर में लाना/अनुमति देना; बिना



---

बैज/आई कार्ड के आना; एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने से इंकार करना, आदि।

- 21. न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** यह अनुबंध भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित है और उच्च न्यायालय, जोधपुर, राजस्थान के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।



## सेवा प्रदाता के दायित्व:-

### 1. सेवा प्रदाता द्वारा जनशक्ति को रोजगार:

- 1.1 सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाला सेवा प्रदाता किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित या नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि वह भारत का नागरिक या ऐसे अन्य देश का नागरिक न हो जिसे लागू सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार रोजगार देने की अनुमति है।
- 1.2 सेवा प्रदाता केवल अठारह वर्ष की आयु पूरी करने वाले और 65 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ही नियुक्त करेगा। सुरक्षा एजेंसी केवल उस व्यक्ति को नियुक्त करेगी जिससे सेवा प्रदाता उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतुष्ट हो और निर्धारित सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा कर चुका हो। सेवा प्रदाता केवल पी.एस.आर.ए. 2005 और नियमों में निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करने वाले व्यक्ति को ही नियुक्त करेगा। इसके अलावा वह व्यक्ति प्रासंगिक नियमों में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो।
- 1.3 कोई भी व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो या जिसे संघ, राज्य पुलिस संगठन, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी सशस्त्र बल या किसी भी निजी में सेवा करते हुए कदाचार, या नैतिक अधमता के आधार पर बर्खास्त या हटाया गया हो सुरक्षा एजेंसी को सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित या नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- 1.4 सेवा प्रदाता, किसी व्यक्ति को नियुक्त करते समय उस व्यक्ति को वरीयता देगा जिसने सेना, नौसेना और वायु सेना या अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस बलों में सदस्य के रूप में सेवा की है, यहां तक कि उन पदों के लिए भी, जिनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में यदि उन पदों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष रूप से इंगित नहीं भी किया गया हो।
- 1.5 सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के पूर्ववृत्त को स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से सत्यापित कराया जाएगा और इस संबंध में एक वचनपत्र एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को प्रस्तुत किया जाना है तथा



एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता प्रावधानों का अनुपालन करता है।

- 1.6 सेवा प्रदाता अपने कर्मियों के जीवनवृत्त (सीवी) और पुलिस सत्यापन विवरण प्रस्तुत करने के बाद और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कर्मियों को तैनात करेगा। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित किया जाएगा और सेवा प्रदाता को उनके जीवनवृत्त (सीवी) के साथ ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 1.7 एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के पास किसी भी ऐसे कार्मिक को हटाने का अधिकार होगा, जो उचित तर्क या अन्य कारण से अवांछनीय माना जा सकता है और इसी तरह सेवा प्रदाता के पास एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को पूर्व सूचना देने के साथ आपात स्थिति में किसी भी कर्मचारी को हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

## 2. सेवा प्रदाता द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर

- 2.1 सेवा प्रदाता निजी सुरक्षा एजेंसी का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते, उनके नियंत्रण में सुरक्षा कर्मियों और पर्यवेक्षकों के नाम, पते, फोटो और वेतन और ऐसे अन्य विवरण जो पी.एस.आर.ए. अधिनियम के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, के साथ एक रजिस्टर संधारित करेगा।
- 2.2 सेवा प्रदाता एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन में उसके कर्मियों के रोजगार की प्रविष्टि की जाएगी और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। बिल तैयार करते समय महीने के दौरान लगे कर्मियों की तैनाती का विवरण, शिफ्ट वार एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को दिखाया जाना चाहिए। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. ऐसी जानकारी मांग सकता है जो वह सेवा प्रदाता से आवश्यक समझे।



2.3 सेवा प्रदाता कानून के तहत सभी वैधानिक रजिस्ट्रों को संधारित करेगा और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकरण की मांग पर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

### 3. फोटो पहचान पत्र जारी करना

3.1 सेवा प्रदाता द्वारा तैनात प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी को एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

3.2 फोटो पहचान पत्र एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन द्वारा निर्धारित प्रारूप और पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम और नियमों का अनुपालन में जारी किया जाएगा। प्रत्येक सुरक्षा कर्मी अपने साथ जारी किए गए फोटो पहचान पत्र को अपने पास रखेगा और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण की मांग पर इसे प्रस्तुत करेगा।

### 4. लाइसेंस की आवश्यकताएं

4.1 सेवा प्रदाता के पास निजी सुरक्षा विनियम अधिनियम (पी.एस.ए.आर.ए.) के प्रावधान के तहत एक वैध लाइसेंस होना चाहिए जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संचालन के लिए प्रदान किया जाता है, जहां सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति जो सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं, अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान वैध हों, ऐसा ना होने पर उपयुक्त दंड लगाया जाएगा। इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा मांग करने पर सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

4.2 सेवा प्रदाता अपने हिस्से और लागत पर अनुबंध श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, , यदि कोई हो तो, सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करेगा। आवश्यकता प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संगठन के लिए लगे व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी।

4.3 सेवा प्रदाता कानून के तहत लाइसेंस प्रावधानों के अनुसार संधारित किए जाने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक रजिस्ट्रों को संधारित करेगा और मांग करने पर



एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

## 5. प्रशिक्षण

सेवा प्रदाता के पास पी.एस.ए.आर.ए., 2005 के तहत मान्यता प्राप्त अपना स्वयं का अधिष्ठान/प्रतिष्ठान/तंत्र/प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए या पी.एस.ए.आर.ए., 2005 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उसका गठजोड़ होना चाहिए ताकि वे अपने सुरक्षा कर्मियों के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों के सही और संतोषजनक कार्य निष्पादन को सुनिश्चित कर सकें। अनुबंध के तहत केवल उन्हीं व्यक्तियों को तैनात किया जाना चाहिए, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास प्रमाण पत्र है। प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि उतनी होगी, जैसा कि पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम में निर्दिष्ट है और अधिनियम में निर्धारित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार है। हालांकि भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कर्मियों को केवल पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता होगी।

## 6. तैनात सुरक्षा कर्मियों का आचरण

- 6.1 सुरक्षाकर्मी किसी भी रूप में कोई एहसानमंदी या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे।
- 6.2 सेवा प्रदाता के साथ अपने रोजगार अनुबंध की शर्तों के तहत, सुरक्षा कर्मचारी सेवा प्रदाता और उसकी ओर से किए गए कार्य को छोड़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनाम के लिए या अन्यथा के लिए कोई भी पेशेवर या अन्य कार्य नहीं करेंगे।
- 6.3 सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कर्मियों को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. स्टाफ के साथ व्यवहार करने में बहुत ही सुखद व्यवहार के साथ अत्यंत विनम्र होना चाहिए और उन्हें अत्यधिक अनुशासन की छवि पेश करनी चाहिए। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को अपने स्टाफ की शिकायतों के मामले में या एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के प्रतिनिधि के निर्णय के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हटाने का अधिकार होगा, यदि कोई व्यक्ति संतोषजनक ढंग से या अन्यथा काम नहीं कर रहा हो। सेवा प्रदाता को ऐसे सभी मामलों में उपयुक्त प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी होगी। सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मी किसी भी कर्मचारी संघ और संघ में भाग नहीं लेगा।





6.4 तैनात किए गए व्यक्तियों को अपने काम के दौरान कुछ गोपनीय दस्तावेजों और सूचनाओं को किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करना चाहिए। इसे देखते हुए, उन्हें गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और इस शर्त का उल्लंघन सेवा प्रदाता के साथ-साथ तैनात व्यक्ति अनुबंध के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के अलावा लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

## 7. वर्दी और बैज

- 7.1 सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षाकर्मी अपनी भूमिका या कार्य को इंगित करने के लिए जिस एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, उसके बैज कंधे या छाती पर लगाएं। सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत सुरक्षाकर्मी, रस्सी से जुड़ी एक सीटी रखें जो उनकी बाईं जेब में रखी जानी चाहिए। सुराख और लेस वाले जूते, हेडगियर पहनें, जिन पर सेवा प्रदाता का विशिष्ट चिह्न भी हो सकते हैं।
- 7.2 सुरक्षा कर्मियों द्वारा सक्रिय ड्यूटी के दौरान पहने जाने वाले कपड़े ऐसे होंगे कि वे उनके कुशल प्रदर्शन में बाधा न डालें। विशेष रूप से वे कपड़े न तो बहुत तंग होने चाहिए और न ही बहुत ढीले होने चाहिए ताकि अंगों की गति या झुकने में बाधा उत्पन्न ना हो।
- 7.3 सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखेगा।
- 7.4 प्रत्येक सुरक्षा व्यक्ति को एक अच्छी गुणवत्ता वाली टोर्च और एक डंडा उपलब्ध कराया जाएगा।
- 7.5 सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर रहते हुए अपनी कमर के ऊपर, परिधान के बाहरी ओर जारी किया गया फोटो-पहचान पत्र विशिष्ट तरीके से पहनेगा और प्रदर्शित करेगा।
- 7.6 वर्दी के पैरामीटर पी.एस.ए.आर.ए. 2005 के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।

## 8. सेवा प्रदाता द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण

- 8.1 सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाता और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.संगठन के बीच सहमत मौजूदा कार्य निर्देशों के अनुसार तैनात व्यक्ति के सही प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त



पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा। भले ही एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. संगठन द्वारा सुरक्षा पर्यवेक्षक का उपयोग ना किया जा रहा हो, सेवा प्रदाता को तैनात कर्मचारियों के प्रदर्शन पर नज़र रखनी चाहिए और अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए।

- 8.2 सेवा प्रदाता एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा दी गई आवश्यकता के अनुसार पर्यवेक्षकों को तैनात करेगा। पर्यवेक्षक को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के निर्देशों के अनुसार काम करना होगा।
- 8.3 सेवा प्रदाता प्रशासन, अधीक्षण और व्यवस्थाओं से जुड़ी ऐसी सभी सुरक्षा सेवाओं, कृत्यों, मामलों और चीजों को यहां दिए गए निर्देशों के अनुसार और ऐसे निर्देशों के अनुसार करेगा, जिन्हें एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. समय-समय पर जारी कर सकता है, और जिन पर दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति हो गई है।
- 8.4 सेवा प्रदाता एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा सौंपी गई सभी संपत्ति और उपकरणों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
- 8.5 सेवा प्रदाता एक समन्वयक को नामित करेगा जो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के साथ नियमित बातचीत के लिए जिम्मेदार होगा ताकि तैनात व्यक्तियों की इष्टतम सेवाओं का बिना किसी व्यवधान के लाभ उठाया जा सके।

## 9. काम के घंटे और रिपोर्टिंग समय

कर्मियों को आवश्यक दस्तावेज / निर्देश एकत्र लेने और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा अनुमोदित अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए शिफ्ट शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के सुरक्षा कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के काम के घंटे और दिन संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के मौजूदा लागू नियमों के अनुसार होंगे। हालांकि उन्हें छुट्टियों के दौरान और कार्य की आवश्यकता पर काम करना पड़ता है। तैनात कर्मियों की छुट्टी लेने की स्थिति में और यदि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा आवश्यक हो, तो पारस्परिक समझ के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा उपयुक्त विकल्प प्रदान किए जाएंगे। तैनात कर्मियों के खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, सेवा प्रदाता



तुरंत तैनात कर्मियों को बदल देगा ताकि सेवा का स्तर बनाए रखा जा सके। कर्मियों की तैनाती से पहले एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. और विक्रेता के बीच काम करने की शिफ्ट (दिन और रात की शिफ्ट सहित), यदि कोई हो, और दैनिक काम के घंटों पर परस्पर सहमति ली जाएगी। कर्मचारियों की उपस्थिति सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में और/या एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में दर्ज की जाएगी। यदि बायोमेट्रिक प्रणाली पर जोर दिया गया तो यह एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और सेवा प्रदाता तैनात सुरक्षा कर्मियों को इसकी सुगमता प्रदान करेगा। नियुक्त व्यक्तियों को सौंपे गए कार्य को संभालने के दौरान विनम्र, सौहार्दपूर्ण और कुशल होना चाहिए और उनके कार्यों से सद्भावना को बढ़ावा मिलना चाहिए और निगम या कार्यालय की छवि को बढ़ाना मिलना चाहिए। सेवा प्रदाता तैनात व्यक्तियों की ओर से अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार होगा।

## 10. शारीरिक मानक और चिकित्सा जांच

10.1 तैनात सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त या नियोजित होने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम 2005 में निर्दिष्ट शारीरिक फिटनेस के मानकों को पूरा करता है। इसलिए सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी तैनात सुरक्षा कर्मचारी पी.एस.ए.आर.ए. अधिनियम में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी को सौंपे गए कार्य के लिए सुरक्षा कर्मियों की फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी के रोल में शामिल होने के समय अपने कर्मचारियों की चिकित्सा जांच करवानी चाहिए और पी.एस.ए.आर.ए. के तहत निर्धारित वार्षिक चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। इसका एक रिकॉर्ड सुरक्षा कर्मियों की व्यक्तिगत फाइल में रखा जाएगा। यदि एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. अपने संगठन में तैनाती के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की एक प्रति मांगता है तो उसे यह प्रति दी जाएगी।



10.2 तैनात सुरक्षा कर्मी किसी भी छूत या संक्रामक रोग से मुक्त होने चाहिए। उसे किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जिसके सेवा के दौरान बढ़ने की संभावना हो या जो उसे सेवा के लिए अयोग्य या जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता हो।

10.3 सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारियों के संबंध में कोई चिकित्सा सुविधा या प्रतिपूर्ति या किसी भी प्रकार के चिकित्सा दावों पर एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

### 11. लागू अवकाश

11.1 सभी 7 दिनों के लिए किराए पर ली गई सेवाओं के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवा कर्मियों को एक महीने में कम से कम 4 छुट्टियां दी जाएगी।

11.2 कर्मियों को लागू आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा किए जाने वाले भुगतान की गणना के लिए लागू अवकाश के भुगतान को भी ध्यान में रखा जाएगा।

11.3 लागू होने वाली निर्दिष्ट छुट्टियों से परे, छुट्टी को बिना वेतन (एल.डब्ल्यू.पी.) के रूप में माना जाएगा, यदि कोई प्रतिस्थापन प्रदान नहीं किया जाता है, तो किसी भी दंड के अलावा एस.एल.ए. (सेवा स्तर समझौता) में दिए गए निर्देश के अनुसार विकल्प प्रदान नहीं करने के लिए, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा बिल की राशि में से आवश्यक कटौती की जाएगी।

निदेशक



### बोली लगाने वाले की प्रोफाइल

1	निविदा देने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम (पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
2	कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत फर्म का प्रकार अर्थात प्रोपराइटरशिप/साझेदारी या कंपनी (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
3	कंपनी/फर्म/एजेंसी के मालिक/निदेशक का नाम	
4	टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
5	टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल के साथ संचालन / शाखा कार्यालय का पूरा पता	
6	पैन / जी.आई.आर. / टैन नंबर (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7	जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	

8. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष या उससे अधिक समय से वाहन की आपूर्ति में किए गए संतोषजनक कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति। इसका सारांश दिए गए प्रारूप में कालानुक्रमिक क्रम में सारणीबद्ध किया जा सकता है: -

क्रम सं.	पता, टेलीफोन और फैक्स नंबर के साथ ग्राहक का विवरण	अनुबंध की राशि (रु. लाख)	अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि	
			से	तक
1				
2				
3				

(यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त है, तो एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

9. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)

- नाम:
- दिनांक:
- स्थान:

•अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

• मुहर:



**डी.ओ.टी./सरकारी विभाग द्वारा सरकारी निविदा में भाग लेने से ब्लैकलिस्टिंग/गैर-  
 ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में घोषणा।  
 (बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

मैं/हम मैसर्स -----  
 -----का मालिक/साझेदार/निदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कंपनी, जिसका नाम मेसर्स -----  
 -----है, को पूर्व में  
 एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सरकारी निविदाओं में भाग लेने  
 से काली सूची में नहीं डाला गया है या प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

या  
 मैं/हम मैसर्स -----  
 -----का मालिक/साझेदार/निदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कंपनी, जिसका नाम मेसर्स -----  
 -----है, को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.,  
 या किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा दिनांक -----से प्रभावी -----वर्षों के  
 लिए सरकारी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह अवधि दिनांक -----  
 ----- को समाप्त हो गई है और अब फर्म/कंपनी सरकारी निविदाओं में भाग लेने की हकदार है।

यदि उपरोक्त जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं /हम पूरी तरह से जानते हैं कि निदेशक,  
 एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर द्वारा निविदा/अनुबंध को अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा और  
 बयाना राशि/जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

उपरोक्त के अलावा, निदेशक, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर किसी भी पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण  
 किए गए कार्य के बिलों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

हस्ताक्षर -----

दिनांक:

नाम -----

फर्म की मुहर लगानी होगी।

क्षमता जिसमें हस्ताक्षर किए गए हैं:

फर्म का नाम और पता:



## घोषणा

### (बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में ठेकेदार के किसी निकट संबंधी (रिश्तेदारों) के कार्यरत ना होने के संबंध में

में .....पुत्र / श्री .....

निवासी ..... एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि निविदा दस्तावेज में परिभाषित मेरा कोई भी रिश्तेदार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है, तो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

निकट संबंधी (ओं) का अर्थ है:

ए) एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य;

बी) जीवनसाथी।

सी) पिता, माता, बहन, भाभी, बेटा, बहू, भाई, साला आदि

स्वामित्व फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र मालिक द्वारा दिया जाएगा और साझेदारी फर्म के मामले में सभी साझेदारों द्वारा और लिमिटेड कंपनी के मामले में कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा या सभी निदेशकों की ओर से कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कंपनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन करने पर, निविदा/कार्य रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी स्तर पर जब भी ऐसा पाया जाएगा तो बयाना राशि/ जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यह विभाग कंपनी या फर्म या संबंधित व्यक्ति को कोई हर्जाना नहीं देगा। कंपनी या फर्म या व्यक्तियों को संबंधित इकाई में आगे की भागीदारी के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता की मुहर



## घोषणा

(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)

वेब साइट से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज की छेड़छाड़ ना करने के लिए

मैं .....(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) एतद्वारा घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत किए गए निविदा दस्तावेज वेबसाइट <https://eprocure.gov.in> / <https://niirncd.icmr.org.in/> से डाउनलोड कर लिए गए हैं और डाउनलोड किए गए दस्तावेज में कुछ भी जोड़ा/हटाया/सुधारा नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने बयाना राशि के लिए निविदा दस्तावेज की लागत हेतु ..... रुपये का डी.डी. संलग्न किया है।

निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकार की मुहर





**घोषणा**  
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)

**कार्यालय में भाग लेने के लिए प्राधिकरण पत्र**

सेवा में,

निदेशक,

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., नई पाली रोड,

जोधपुर

विषय: \_\_\_\_\_ (तारीख) को \_\_\_\_\_ की निविदा में कार्यालय में  
उपस्थित होने के लिए प्राधिकार

महोदय,

निम्नलिखित व्यक्ति \_\_\_\_\_ (बोलीदाता) की ओर से  
ऊपर उल्लिखित निविदा के लिए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए अधिकृत हैं।

प्रतिनिधि का नाम

नमूना हस्ताक्षर

1. \_\_\_\_\_

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(अधिकतम एक प्रतिनिधि को कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऊपर  
निर्धारित प्राधिकरण प्राप्त नहीं होता है तो कार्यालय में प्रवेश की अनुमति से मना किया जा सकता  
है।)



**बोली सुरक्षा घोषणा**  
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)

सेवा में,  
निदेशक,  
राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान,  
(एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.),  
नई पाली रोड, जोधपुर 342005

संदर्भ: 1) निविदा संख्या----- दिनांक-----  
2) हमारी बोली संख्या ----- दिनांक-----

महोदय,  
मैं हम, ----- अपरिवर्तनीय रूप से निम्नानुसार घोषित करते हैं:  
मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि निविदा शर्त के अनुसार बोली को बयाना जमा राशि के बदले में एक बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए।  
मैं/हम एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि मैं/हम अयोग्यता/निलंबन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आपके साथ किसी भी अनुबंध के लिए बोली लगाने से अयोग्य/निलंबित हो सकते हैं, जैसा कि आपके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, यदि,

- 1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहे हों,
- 2) मैंने/हमने बोली के रूप में निर्दिष्ट बोली वैधता अवधि या विस्तारित अवधि के दौरान, यदि कोई हो तो, मेरी/हमारी बोली को वापस ले लिया हो या एकतरफा रूप से परिवर्तित/परिशोधित/संशोधित कर दिया हो।
- 3) मेरी/हमारी बोली की स्वीकृति पर, मैं/हम निर्धारित जमानत राशि जमा करने में विफल रहता हूँ या अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता हूँ या नियमों और शर्तों के अनुसार और निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन शुरू करने में विफल रहता हूँ।

हस्ताक्षर:

बोली-सुरक्षा घोषणा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम:

के लिए और की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत: -----  
---- (बोली लगाने वाले का पूरा नाम)

दिनांक -----महीना -----दिन, -- -----वर्ष

(नोट: एक संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली सुरक्षा घोषणा संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर होनी चाहिए जो बोली प्रस्तुत करती है)।



अनुबंध- ए

## राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

(वित्तीय बोली)

क्रम सं	विवरण	मासिक शुल्क रुपये में	कुल वार्षिक राशि (रुपये में)
1	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में कुशल सुरक्षा कर्मियों (12 पुरुष गार्ड, 01 महिला गार्ड और 01 पर्यवेक्षक) के लिए सेवा शुल्क		
	मासिक सेवा शुल्क शब्दों में :		

# (ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्धृत सेवा शुल्क शून्य या उसका यौगिक नहीं होना चाहिए।)

• न्यूनतम मजदूरी, ई.पी.एफ., ई.एस.आई., बोनस आदि नियमानुसार होंगे।

**नोट:**

1. भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार ई.एस.आई. अंशदान दरों को 1 जुलाई, 2019 से पहले के 4.75% से घटाकर 3.25% कर दिया गया है।
2. ई.पी.एफ. अंशदान 15000/- रुपये की अधिकतम वेतन सीमा पर है।
3. ई.एस.आई. प्रयोज्यता की ऊपरी सीमा 21000/- रुपये है।
4. बोनस प्रासंगिकता की ऊपरी सीमा रु. 7000/- है।
5. वेतन समय-समय पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा घोषित किए जाने पर संशोधन के अधीन हैं।
6. उपर्युक्त न्यूनतम मजदूरी केंद्र/राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार वसूल की जाएगी और जो भी अधिक होगी वह लागू होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक के साथ